न्यायालय मुन्सिफ

अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण।

उपस्थित–नज़ीम अहमद, मुन्सिफ, सोनपुर, सारण।

हकियत वाद संख्या : 55/2016

अमर नाथ पाण्डेय एवं अन्य.............वादीगण।

बनाम

राघव प्रसाद सिंह एवं अन्य.........प्रतिवादीगण।

आदेश

07.04.2026 उभय पक्ष की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 सहपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, दिनांक–24.01.2026 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु उपस्थापित है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदन चालित हुआ। सुना।

वादी पक्ष के द्वारा दाखिल उक्त आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 राघव प्रसाद सिंह अपने पीछे एक पुत्र पंकज सिंह तथा तीन पुत्रियाँ बुनी देवी, कुलबुल देवी एवं पुनम देवी को छोड़कर दिनांक–28.11.2025 को मर गये। उपर्युक्त लोग ही मृत प्रतिवादी सं0–01 राघव प्रसाद सिंह के जायज वारिसान हैं, जिनको मृत प्रतिवादी के स्थान पर वाद पत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रतिस्थापन का आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत एवं शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उपर्युक्त मृत प्रतिवादी का नाम वाद–पत्र के प्रतिवादी खाना से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके जायज वारिसान का नाम प्रत्यास्थापित करने का आदेश पारित किया जाये।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से वादी पक्ष के प्रस्तुत आवेदन के विरूध कोई लिखित प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है साथ–हीं सुनवाई के क्रम में प्रतिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से भी कोई विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु लंबित है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 राघव प्रसाद सिंह के मृत्युपरांत उनका नाम वाद–पत्र से कलमजद कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया गया है। वादी पक्ष द्वारा दाखिल प्रस्तुत प्रतिस्थापना का आवेदन समय–सीमा के अंतर्गत एवं वादी सं0–01 अमर नाथ पाण्डेय के शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित है। वादी पक्ष के प्रस्तुत आवेदन का प्रतिवादी पक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वादी पक्ष द्वारा दाखिल प्रस्तुत आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उचित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत प्रतिवादी सं0–01 राघव प्रसाद सिंह का नाम वाद–पत्र के प्रतिवादी खाना से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम आवेदनानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् प्रति–स्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिती हेतु उचित कार्यवाही करें।

दिनांक–<u>05.05.2026</u> अग्रतर कार्रवाई हेतु।

(लेखापित)

मुंसिफ, सोनपुर

Web Copy not Official